

उज्जैन आंचलिक कार्यालय,
सी-2, क्षिप्रा विहार, देवास रोड, नागझिरी,
उज्जैन-456010
मध्य प्रदेश
दूरभाष: 0734-2515562

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India **BOI** ★

बैंक ऑफ इंडिया, उज्जैन अंचल अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

स्थान	पद का नाम	संकाय सदस्य संख्या	पात्रता/अन्य योग्यताएँ	कार्य दिवस	मासिक मानदेय
स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देवास (RSETI-Dewas)	संकाय सदस्य (Faculty Member)	01	हमारे वेबसाइट से प्राप्त करें।	साप्ताहिक 6 दिन	20000/- (नियम एवं शर्त लागू)
स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान राजगढ़ (RSETI-Rajgarh)	संकाय सदस्य (Faculty Member)	02	हमारे वेबसाइट से प्राप्त करें।	साप्ताहिक 6 दिन	20000/- (नियम एवं शर्त लागू)
वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र-आगर मालवा (FLC-AGAR Malwa)	परामर्शदाता (एफएलसीसी)	01	हमारे वेबसाइट से प्राप्त करें।	साप्ताहिक 6 दिन	18000/- (नियम एवं शर्त लागू)

कृपया नोट करें की उपरोक्त पद पूर्ण रूप से अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे एवं नियुक्त व्यक्तियों का कार्य विस्तार उनके कार्य की समीक्षा के आधार पर निश्चित अंतराल पर की जाएगी। नियुक्ति बैंक के नियम एवं शर्तों के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र हमारे वेब साइट www.bankofindia.co.in के करियर सेक्शन से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पूरे दस्तावेजों के साथ हमारे आंचलिक कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 04.04.2019 के संख्या 4:00 बजे तक भेजे जा सकते हैं। प्रारंभिक जांच के बाद उपर्युक्त पाये गए आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में आहर्ता प्राप्त आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा साथ ही आवेदकों को शिक्षण कौशल का प्रदर्शन दिखाना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि बैंक ऑफ इंडिया बिना किसी पूर्वा सूचना के इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है (उम्मीदवार अधिमानतः स्थानीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए)। कॉल लेटर/सूचना पत्र डाक से प्राप्त न होना, या नुकसान, या किसी भी देरी के लिए या कोई भी अन्य कारण के लिए बैंक किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। आंशिक रूप से भरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक चुना जाता है तो प्रस्ताव पत्र स्वीकार करने की तिथि पर आवेदक किसी भी सरकारी या निजी संगठन के साथ पूरा या अंशकालिक आधार या अनुबंध के आधार पर जुड़ा नहीं होना चाहिए।

(आंचलिक प्रबंधक)

उज्जैन अंचल

